



INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 3; 2024; Page No. 93-96

Received: 04-03-2024

Accepted: 10-04-2024

भारतीय समाज में प्राथमिक शिक्षा के विकास में संचालित भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन

***सीमा सैनी और २डॉ. धर्मेंद्र सिंह**

¹शोधार्थी, ग्लोकल स्कूल ऑफ शिक्षा शास्त्र, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

²शोध निर्देशक, प्रोफेसर, ग्लोकल स्कूल ऑफ शास्त्र, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: सीमा सैनी

सारांश

प्राथमिक शिक्षा विकासशील देशों के विकास में अहम भूमिका निभाती है। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना मानव जीवन के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में बाँटा गया है। प्राथमिक शिक्षा बालक की भौतिक, मानसिक, सामाजिक भावनात्मक, नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करके व्यवित्त का विकास करती है। यह शिक्षा बालकों में नैतिक गुणों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसके साथ-साथ देश प्रेम की भावना भी जागृत करती है। प्रथमिकी शिक्षा आगे की शिक्षा की नींव होती है इसलिए इसे मुख्य शिक्षा भी कहते हैं। प्रारंभ में भी दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत रखा जाता है। अतः प्राथमिक स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे प्रारंभिक या पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। आमतौर पर 5 से 11 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं, वे प्राथमिक शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते हैं, जहाँ वे ऐसे विषयों या कौशलों को सीखते हैं, जो उनकी स्कूली शिक्षा की बाकी हिस्सों की नींव रहती है। प्राथमिक शिक्षण संस्थान बच्चों को विभिन्न धर्मों, नस्लों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ विकलांग लोगों से मिलने के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पास बच्चों को सहिष्णुता एवं सम्मान के बारे में सिखाने का एक अनूठा अवसर प्राप्त होता है। प्राथमिक शिक्षा स्पृष्ट शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। यह शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन कर उसे आदर्श, संस्कारवान तथा संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। आधुनिक प्रगतिशील युग में प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति के स्तर पर नहीं पहुँच सकता प्राथमिक शिक्षा का पतन राष्ट्रीय पतन का संकेत है।

मुख्य शब्द: शिक्षा, विकासशील, प्राथमिक, माध्यमिक, शिक्षा बालकों, भौतिक

प्रस्तावना

शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है जिससे वह अपने समाज, राष्ट्र, विश्व और सम्पूर्ण मानवता के हित में चिन्तन, संकल्प और कार्य कर सके “अरस्तु के शब्दों में ‘शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुन्दरम् का चिन्तन करने योग्य बन सके।” भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास विशेष रूप से 1947 के बाद हुआ है। स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के लिये अनेक नीतियाँ अपनायी। जिससे कि ‘प्राथमिक शिक्षा’ का प्रचार एवं प्रसार सारे देश में किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा समाज की प्रगति का मुख्य आधार है यही कारण है कि आधुनिक युग में प्राथमिक शिक्षा का स्तर समाज की समृद्धि का सूचक माना जाता है। शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिये शिक्षकों पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय भवन आदि में

सुधार के लिए प्रयासरत हैं। जो समाज अथवा राष्ट्र जितना जागरूक होगा उतनी ही सीमा तक प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देगा वास्तव में जन चेतना के लिये प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है। प्राथमिक शिक्षा का विकास सामान्य जन शक्ति के विकास से सम्बद्ध है। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करती है इसी के साथ बच्चों के चरित्र का विकास करने में भी प्रयास किया जा रहा है। भारत के संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजा हमारी राष्ट्रीय नीति की विशेषता रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही हमने इस दिशा में जो विशेष प्रयास किये उनमें शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिये वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशिक तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि राज्य 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये

निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका तात्पर्य था कि देश के 6–14 वर्ष के सभी बच्चे वर्ष 1960 तक विद्यालयों में नामांकित हो जायेगे। यह समय सीमा कालान्तर में बढ़कर 1960 से बढ़कर 1972 तत्पश्चात् 1976 तथा पुनः 1993 कर दी गई। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 8 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा की समर्कार्य का विभाजन करके 1990 तक पांचवी कक्षा तक शिक्षा तथा 1995 तक आठवीं कक्षा तक की शिक्षा को सर्व भुलय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1992 में इस समय सीमा को पुनः बढ़ाकर वर्ष 2000 तक निश्चित किया गया। प्राथमिक शिक्षा को मिशन के रूप में सर्वप्रथम बनाये जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट बनी जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिये जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं की तैयारी पर बल देकर समग्र दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रूप में प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। इसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्राप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की।

अनेक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में प्रारम्भिक शिक्षा में संस्थाओं, शिक्षकों और छात्रों को बढ़ाने की दृष्टि से काफी प्रगति की है। देश के प्रा० स्कूलों में चार गुणा वृद्धि हुई है। अर्थात् वर्ष 1950–57 में 2,31,000 के मुकाबले वर्ष 1998–99 में स्कूलों की संख्या 9,30,000 हो गयी जबकि प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में 6 गुना वृद्धि हुई अर्थात् यह संख्या 1.92 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ तक पहुँच गयी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इस अवधि के दौरान नामांकन में 13 गुना वृद्धि हुई थी जबकि लड़कियों के नामांकन में 32 गुना की विलक्षण वृद्धि हुई प्राथमिक स्तर तक कुल नामांकन औसत 100 प्रतिशत बढ़ा है स्कूलों तक पहुँचना अब कोई बड़ी बात नहीं है। प्राथमिक स्तर पर देश के ग्रामीण जनसंख्या वाले 94 प्रतिशत स्थानों में एक किलोमीटर के भीतर स्कूलों की व्यवस्था की गई है और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह व्यवस्था 84 प्रतिशत की गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की लेकिन दुख की बात है कि 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं की जा रहे हैं इनमें 3.5 करोड़ लड़कियों तथा 2.4 करोड़ लड़के हैं अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तिया है जहाँ एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूल की सुविधा नहीं है इसके साथ ही स्कूलों को अपर्याप्त बुनियादी ढांचा स्कूलों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली को शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता शिक्षक रिक्तियों की अधिक संख्या आदि शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियों जैसे विभिन्न सम्बन्ध कारण भी है।

संक्षेप में, देश को अभी भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्य है कि सभी बस्तियों में स्कूली सुविधायें प्रदान करके सत् प्रतिशत नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाये रखना और इस अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार ने देश की साक्षरता बढ़ाने में देश में अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये गये जैसे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (1929), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987), बेसिक शिक्षा परियोजना (1993), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मध्यान्ह भोजन योजना (1995), शिक्षा गारन्टी योजना (1999), अनौपचारिक शिक्षा (2001) जो निम्नलिखित रूप से उल्लेखित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा से पूर्व प्रौढ़ शिक्षा, समाज शिक्षा, जन शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, जनता शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जीवन पर्यन्त शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम, श्रमिक शिक्षा, सतत शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा आदि अनेक नामों से ये कार्यक्रम संचालित रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा—

प्रौढ़ शिक्षा बहु प्रचलित नाम है। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर भिन्न-भिन्न काल में एवं भिन्न-भिन्न कायक्रम संचालित किये गए जो उस काल में उस स्थान के नागरिकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिये आवश्यक प्रतीत हुए। वस्तुतः यह नाम ब्रिटेन में तथा अंग्रेजी भाषा में प्रचलित था, जहाँ निरक्षता कोई गम्भीर समस्या नहीं थी। ब्रिटेन में 'वकर्स एजूकेशनल एसोसियेषन' तथा विश्वविद्यालयों के 'एवस्ट्रा म्यूरल डिपार्टमेंट्स' द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों यथा साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र का उद्देश्य उस समय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों में व्यक्तियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना था।

दूसरी ओर देखे तो भारत अथवा अन्य देशों में, जहाँ निरक्षरता की समस्या गम्भीर थी। प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य सामान्यतः साक्षरता से लिया गया। जिसका अर्थ विद्यालय की सामान्य शिक्षा के अभाव की पूर्ति करना था। इसके अन्तर्गत सामान्य पढ़ना-लिखना और साधारण गणित का शिक्षा सम्मिलित किया जाता था। शैरै-शनैः आवश्यकतावश यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रौढ़ शिक्षा को अब साक्षरता तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, अपितु उसमें स्वास्थ्य, सामाजिक ज्ञान, कृषि तकनीकी ज्ञान, नागरिकता, उद्योग, आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। धीरे-धीरे परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र विकसित होता गया और जब 2 अक्टूबर, 1978 को राष्ट्र स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ तो स्पष्ट रूप से प्रौढ़ शिक्षा में तत्वों- जागरूकता, व्यावहारिकता एवं साक्षरता का समावेश किया गया। प्रौढ़ शिक्षा की कार्य योजना ने निर्धारित किया कि 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाया जायेगा।

समाज शिक्षा—

समाज शिक्षा का नामकरण करने का श्रेण स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को है। सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में 'सोशल एजूकेशन' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा गया है कि 'समाज शिक्षा की एक ऐसी परिभाषा है।' स्वर्गीय श्री आजाद के मस्तिष्क में जनता के शिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम था, जिसका नाम उन्होंने 'सोशल एजूकेशन' अर्थात् समाज शिक्षा दिया था। कार्यक्रम के जो पांच उद्देश्य निर्धारित किये गये, वे हैं - 1. आर्थिक सुधार हेतु शिक्षा; 2. नागरिक शिक्षा; 3. स्वास्थ्य शिक्षा; 4. निरक्षरता उन्मूलन; तथा 5. मनोरंजन एवं सौन्दर्य-बोध शिक्षा। उनका प्रयास था कि इन पांचों उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षण के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संतुलित ढंग से होनी चाहिए।

जन शिक्षा—

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में चलाये गये शिक्षा आंदोलन को 'जन शिक्षा' का नाम दिया गया है। इस शिक्षण आंदोलन का उद्देश्य व्यापक जन निरक्षरता का त्वरित उन्मूलन था। इस आंदोलन के प्रणेता डा० जेम्स वन थे, जिन्होंने इसका संचालन विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एवं चैच्छिक जन सहयोग से किया था। डा० वेन विद्यार्थियों के अवकाश एवं शिक्षित व्यक्तियों के खाली समय को दृष्टि में रखकर शिक्षण के इस ऐतिहासिक आंदोलन को चलाते थे। इस जनान्दोलन में विद्यार्थियों एवं दूसरे सहयोगी कार्यकर्ताओं की आन्तरिक प्रेरणा, उत्साह एवं सेवा भावना बहुत सराहनीय थी। इस आंदोलन से बहुत उपलब्धि हुई। आज विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्रों में रूस विश्व का एक शक्तिशाली

राष्ट्र है, जिसका कारण वहाँ की जनता का शिक्षित होना है। वे अपने देश के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।

बेसिक शिक्षा—

बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी के अनुसार, बेसिक शिक्षा जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा है। बेसिक शिक्षा का अर्थ जीवन की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करना है तथा इन समस्याओं के समाधान में ही जीवन का सौन्दर्य भी ढूँढ़ना है। बेसिक शिक्षा में किसी व्यवसाय को शिक्षा का केन्द्र माना गया है। हाथों को किसी उत्पादक काम में लगाये और उस कार्य के माध्यम से पढ़ाये, यह बेसिक शिक्षा की विशेषता है। गांधी जी के अनुसार, शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होना चाहिए। इससे शिक्षार्थी के आन्तरिक गुणों का सम्प्यक विकास सम्भव हो सकेगा।

जीवन पर्यन्त शिक्षा—

शिक्षा के क्षेत्र में जीवनपर्यन्त शिक्षा वास्तव में नवीन अवधारणा नहीं है। यूनेस्कों (संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान व सांस्कृतिक संगठन) द्वारा प्रतिपादित स्थायी शिक्षा को जीवन पर्यन्त शिक्षा कह सकते हैं। जीवन पर्यन्त शिक्षा को इस प्रकार से समझाया जा सकता है—‘मानव के समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिये शिक्षा एक सीखने की रचनात्मक जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य सीखने के समस्त अनुभवों को जोड़कर है।’ इसके अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवर्तन एवं विकास के साथ आंदोलन करने का प्रशिक्षण, उपयोगी साक्षरता, नागरिकता एवं राजनैतिक उत्तरदायित्व आदि विषय आ जाते हैं। आज सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में एक दषक में जितने त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं, उतने पहले एकशताब्दी में नहीं होते थे। भविष्य में ये परिवर्तन और द्रुत गति से हो सकते हैं, जिसके लिये व्यक्ति को स्वतः सदा शिक्षित होते रहने की आवश्यकता होगी।

जीवन पर्यन्त शिक्षा के लिये दो बातें आवश्यक होती हैं— पहली, सीखने वाले के अन्दर जीवन भर सीखते रहने की आंतरिक जिज्ञासा बनाये रखना। इसके लिये वातावरण भी अनुकूल हो, ताकि एक सामान्य व्यक्ति का स्वतः शिक्षण होता रहे। इस कार्य हेतु पुस्तकालय, फिल्म, टेलीविजन आदि बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी, शिक्षण संस्थाओं का विकास होता रहे, ताकि आवश्यक प्रेरणादायक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे। स्वामी विवेकानन्द ने इसको ‘मानव—निर्माण शिक्षा’ कहा है। वहीं शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास कर सकती है, जो जीवन पर्यन्त चलती रहती है।

कार्यात्मक साक्षरता—

पहले साक्षरता शिक्षण के अन्तर्गत सामान्य, पढ़ाई, लिखाई एवं गणित का साधारण ज्ञान आता था। ये तीनों योग्यताएं अर्जित कर लेने पर शिक्षार्थी को साक्षर घोषित कर दिया जाता था। किन्तु पढ़ने की सामग्री न उपलब्ध हो पाने के कारण, नव साक्षर कुछ अवधि के पश्चात प्राय पुनः निरक्षर हो जाते थे। अतः साक्षरता का मापदण्ड और बढ़ाया गया तथा उसके अन्तर्गत और जीवनोपयोगी विषय सम्मिलित किये गये। इस प्रकार व्यावहारिक साक्षरता को यो समझा जा सकता है— किसी व्यक्ति को व्यावहारिक साक्षर उस समय कहा जा सकता है जब वह इतना ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लें जो उसे उसके समाज में समस्त ऐसे कार्य सार्थक तथा यथार्थ रूप से सम्पन्न करने योग्य बना दें जिनमें साक्षरता आवश्यक होती है। इस प्रकार जिसने पढ़ने, लिखने तथा गणित की कला में इतनी व्यावहारिक कुशलता प्राप्त कर ली हो कि इन दक्षताओं से स्वतः अपने एवं समाज के

कल्पण का सतत काम ले सके। वह परिभाषा अन्तिम नहीं, वरन् विश्लेषण की प्रक्रिया में है। व्यावहारिक साक्षरता की सीमा तक शिक्षा प्राप्त किया हुआ नव साक्षर उसको कहेंगे, जो शुद्ध उच्चारण के साथ अच्छी तरह समझकर प्राथमिक स्तर तक की पुस्तकों पढ़ ले, व्याकरण के अनुसार शुद्ध लेखन में भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित हो, विश्व एवं देश के सामान्य इतिहास की जानकारी लिखी पुस्तकों समझकर पढ़ने और फिर प्राप्त ज्ञान के अनुसार कार्य करने की क्षमता रखता हो।

कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम—

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक उपागम के रूप में ‘कार्यात्मक साक्षरता का जन—कार्यक्रम’ पहली मई, 1986 को प्रारम्भ किया गया। इस उपागम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को निर्देशन दिया गया कि वे अपने छात्रों— छात्राओं से लम्बी अवधि वाले अवकाशों में स्वयं सेवा के आधार पर ‘कार्यात्मक साक्षरता का जन—कार्यक्रम’ प्रारम्भ करायें। ये छात्र/ छात्रायें राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत होंगे तथा गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के भी छात्र/ छात्रायें हो सकते हैं, जिन्हें निरक्षरता उन्मूलन के कार्य में लगाया जा सकता है।

सतत शिक्षा—

यों तो औपचारिक और अनौपचारिक विधियों से व्यवित कों शिक्षित किया जाता है परन्तु विभिन्न परिस्थितियों पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आदि के कारण व्यक्ति की शिक्षा क्रम बहुधा दूट जाता है। वह अपने व्यवसाय, उत्तरदायित्व और विभिन्न अन्य सीमाओं में रहते हुए शिक्षा का क्रम जारी रख सके, यही सतत शिक्षा का उद्देश्य है। सतत शिक्षा को कार्यान्वित करते समय मुख्यतः दो बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिये — एक, व्यक्ति जहाँ है, वही उसके जीवन एवं शैक्षिक स्तर के साथ शिक्षा को जोड़ा जाये तथा दो, शिक्षा का विषय एवं पद्धति ऐसी हो कि व्यक्ति की तत्कालिक आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों से मेल खा सके तथा उसके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके।

निष्कर्ष—

शिक्षा किसी भी राष्ट्र नींव है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किये गये समस्त प्रयास जो कि इसको सार्थक एवं आकर्षक बनाते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन लायेंगे। विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का मात्र आश्वासन ही न हो अपितु तथा सम्भव धनराशि प्रदान भी की जाये तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर काफी ऊँचा उठाया जा सकता है। अन्त में यही कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधार शिला कहलाने वाली प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में नवीन आयामों एवं शासकीय नीतियों की भूमिका सरहानीय है। उपरोक्त समस्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किया गया प्रयास निश्चित ही चौदहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस लक्ष्य को मूर्त रूप देने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होगा। प्राथमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं का समग्र विकास करने में परिवर्तित शासकीय नीतियों एवं नये आयाम अवश्य ही कारगर सिद्ध होंगे।

संदर्भ

1. बॉयर, एस० टी०. (2009) अद्व विकसित देशों में अर्थशास्त्रीय योजनायें एवं विश्लेषण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रैस।
2. स्टीफन. एम० (2015) रिसर्च इन एजूकेशन, नई दिल्ली: नेशनल काउन्सिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग।
3. मैथ्यूज, आर० एफ०., (2014) एजुकेशन एण्ड दा कल्ट ऑफ

- इन्वैस्टमेंट, शिकागो: सी0.यू.पी0.।
4. दासगुप्ता, आर0 के0, (2019) इकॉनोमिक रिट्नस डैट मोटिवेट दा चॉयस ऑफ टीचर एजुकेशन: पटना: रिपोर्ट ऑफ आई0 ए0 टी0 ई0 कॉन्फ्रेन्स।
 5. राजेन्द्र डे, (2015) श्लागत वर्गीकरण योजना शोध प्रबन्ध, अर्थशास्त्र, थर्ड सर्वे ऑफ एजूकेशन, वाल्यूम. 04. संख्या. 06. |
 6. मुखर्जी. डी.डी. (2012) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
 7. भटनागर. राकेश (2016) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, आर. लाल.बुक डिपो, मेरठ।
 8. एन0.सी0.ई0.आर0.टी0. (2021) शिशु शिक्षा केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश बेसिक एजूकेशन प्रोजेक्ट इनीशियेटिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रीस्कूल एण्ड एलीमेन्ट्री एजूकेशन।
 9. लाल रमण बिहारी एवं कृष्णाकान्त शर्मा (2011) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, आर0लाल0बुक डिपो, मेरठ।
 10. भटनागर, सुरेश (2002) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, गणपति प्रिन्टर्स, मेरठ।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.